Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

[L.D. Appeal Case No.-113/2024]

Masudan Rishi & Ors.....Appellants.

Versus

The State of Bihar & Anr.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	19.2.2026	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-75/2023-24 में दिनांक-01.6.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-	

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बनमनखी	राधानगर/ 22/2	288	526	10 डी.

दिनांक 03.2.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन उनके पूर्वजों यथा-मणी दास पिता- स्व. कलरू दास एवं सोखी दास पिता-स्व. जातु दास के नाम से खतियान में दर्ज है। एवं वे लोग प्रश्नगत जमीन के वैध उत्तराधिकारी हैं। उनका यह कहना है कि विपक्षी द्वारा निबंधित केवाला सं.-1856 दिनांक-10.4.2023 के माध्यम से प्रश्नगत जमीन का क्रय पूनिया देवी, पति- स्व. रामेश्वर ऋषि से किया गया। उनका यह भी कहना है कि विपक्षी के विक्रेता रामेश्वर ऋषि के द्वारा प्रश्नगत जमीन का क्रय खतियानी रैयत मणी दास की पुत्री ललिया देवी से किया गया है। जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि ललिया देवी मणी दास की पुत्री नहीं है। साथ ही रामेश्वर ऋषि का कभी भी प्रश्नगत जमीन पर दखल-कब्जा नहीं रहा है। अतः उनकी ओर से विपक्षी के प्रश्नगत जमीन पर किये जा रहे दावे को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

जबकि विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन का क्रय उनके द्वारा निबंधित केवाला संख्या-1856 दिनांक-10.4.2023 के माध्यम से पुनिया देवी, पति- स्व. रामेश्वर ऋषि से किया गया। उनका कहना है कि उनके विक्रेता रामेश्वर ऋषि द्वारा मूल खतियानधारी मणी दास की पुत्री मसोमात ललिया देवी से वर्ष-1977 में प्रश्नगत खाता-खेसरा की 29 डी. जमीन का क्रय किया गया था। उनका कहना है कि प्रश्नगत जमीन का क्रय करने के पश्चात उनके द्वारा उक्त जमीन का नामांतरण करवाकर वर्ष-2023-24 तक का लगान भुगतान किया गया है। अंचल अधिकारी, बनमनखी से प्राप्त पत्रांक-2498 दिनांक-17.9.2025 के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि खतियानी रैयत स्व. मणी दास पिता- स्व. कलरू दास का कोई संतान नहीं है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र,

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

	19.2.2026	Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन पर अपीलार्थी द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा किया जा रहा है। जबकि विपक्षी द्वारा निबंधित केवाला के आधार पर प्रश्नगत जमीन का क्रय जमाबंदी रैयत से किये जाने का दावा किया जा रहा है। Indian Succession Act के प्रावधानों के आलोक में बिक्री करने वाले व्यक्ति का Title/Right का निर्धारण किये बिना क्रय करने वाले व्यक्ति का Title/Right की विवेचना किया जाना संभव नहीं है। अतः इस विवाद का निराकरण सक्षम न्यायालय (Civil Court) के समक्ष Title Suit में ही हो सकता है। निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी) के स्तर से संगत कानूनी बिन्दुओं की समीक्षा किये बिना ही विपक्षी का Right निर्धारित करते हुए अपीलाधीन आदेश (01.6.2024) पारित किया गया है, जो विधिमान्य नहीं है। अतः तदनुसार निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए सक्षम न्यायालय (Civil Court) के स्तर से Title निर्धारित होने तक Status quo (राजस्व अभिलेख तथा सरजमीन पर) Maintain करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। 19/2/26. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। 19/2/26. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	